

दिनांक:—16.09.2019

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप वकील वादी ने Not Press किया अतः वाद वादी जरिये Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

